श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान)

(Rajya Sabha, 1400 hours, March 20, 2006)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास का विचार करते समय हमारे सामने एक मूल प्रश्न आता है और मेरे ध्यान में जो पहला मुद्दा आता है, वह है गरीबी की परिभाषा। हम किसको गरीब कहें, इसका अभी तक कोई सर्वसम्मत सिद्धांत तय नहीं हो पाया है। भारत सरकार और योजना आयोग, दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि किसी व्यक्ति को इस परिमाण में कैलोरीज मिल जाएं, यदि इससे कम किसी को क्लोरीज मिलेगी, तो उसे गरीब कहा जाएगा। हम इसे गरीबी की रेखा कहेंगे या भुखमरी की रेखा कहेंगे? मैं माननीय मंत्री महोदय से निश्चित रूप से यह बात कहना चाहता हूं कि वे इस पर निश्चित रूप से विचार करें। गरीबी एक आर्थिक स्थिति है, भूख एक भौतिक स्थिति है और अगर भयंकर आर्थिक स्थिति हो जाए तो भुखमरी पैदा होती है। केवल भोजन की व्यवस्था का विचार करके, कैलोरीज का विचार करके, गरीबी की रेखा को परिभाषित करना, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हम गरीबी की रेखा को कम कर रहे हैं। उसे छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने तो भुखमरी रेखा को ही गरीबी की रेखा मान लिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय, से कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे, क्या यह गरीबी घट रही है? 1973 में यह कहा गया था कि जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत गरीबी की सीमा-रेखा से नीचे है और .81 परसेंट गरीबी प्रतिवर्ष घट रही है। आंकड़ों में, प्रगति में, चर्चा में,दृष्टिकोण और सदन में भी यह चर्चा है। आर्थिक वृद्धि दर लगभग पांच प्रतिशत हो रही है, उनके डाक्युमेंट्स में कहा गया है कि .81 परसेंट गरीबी घट रही है, जो कि ग्रामीण विकास का एक प्रमुख अंग है। यह कहा गया है कि केवल कैलोरी के मापदंड के आधार पर, 26 प्रतिशत गरीबी घट गई है। क्या प्रोटीन, वसा, खनिज, लोहा और विटामिन्स, शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते? मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सरकार इस पर विचार करे कि केवल गरीबी की रेखा का विचार, भोजन की कैलोरी के साथ निर्धारित न करके, जो मनुष्य के भोजन के लिए आवश्यक बातें हैं, उन पर भी विचार करे। मैंने कहा है कि जैसे भोजन की चर्चा की गई है, उसी प्रकार कपड़ा, स्वच्छता, पेयजल, आवास और शिक्षा के समान अवसर, यदि इन सब

पर विचार नहीं करोगे तो कौन गरीब है, इसकी परिभाषा क्या है, न इसका विचार होगा, न वह गरीबी दूर होने की कोशिश होगी और न ही ग्रामीण विकास होगा।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह

(Rajya Sabha, 1600 hours, March 21, 2006)

श्री मंगनी लाल मंडल पुराने लोहियावादी हैं और हम लोगों के पुराने साथी रहे हैं। इन्होंने एक बड़ा ओरिजिनल सवाल उठा दिया कि गरीबी कब खत्म होगी? फिर एक माननीय सदस्य ने भी सवाल उठा दिया कि गरीबी की परिभाषा क्या है? वे कैलोरी का याद कर रहे हैं कि कितनी कैलोरी होने से कोई गरीबी रेखा से नीचे होगा। महोदय, हम पहले ही गरीबी से सम्बन्धित इस बात को साफ कर देना चाहते हैं। योजना आयोग ने सन् 1979 में कैलोरी के बारे में निर्धारण किया था कि 2200 कैलोरी से कम होने पर गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। उस परिवार में आदमी क्या खा रहा है और एक व्यक्ति पर कितनी कैलोरी का कंजम्पशन है, उसके हिसाब से जो 2200 कैलोरी से कम था, उसको गरीबी रेखा से नीचे माना गया। फिर 1991 में 11 हजार रुपए तक की आमदनी वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना गया। फिर 1997 में 20 हजार तक की आमदनी वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना गया। (3वाई/के0एल0जी0 पर क्रमशः)

3Y/klg/4.50

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (क्रमागत) : और जो ज्यादा विद्वान लोग हैं, वे सिर्फ डॉलर में हिसाब बोलते हैं कि इतने डॉलर प्रति व्यक्ति, इतने डॉलर प्रति व्यक्ति। हम तो डॉलर में हिसाब नहीं करना चाहते हैं।

महोदय, अभी वर्ष 2002 में एक नया सर्वे हुआ था, जिसमें 13 पैरामीटर्स निर्धारित हुए और यह केलोरी वाला खतम, पहले ही खतम था, आमदनी वाला भी खतम। वर्ष 2002 में जो सर्वे हुआ था, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी कि आप गरीबी रेखा के लिए इसमें से नहीं हटा सकते। हमने प्रार्थना की थी कि बहुत सारे लोगों के नाम इसमें छूटे हुए हैं, गांव में जाने से गरीब आदमी कहता है कि हमारा नाम नहीं है और हमें कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। जो माननीय सदस्य गांवों में जाते

होंगे, उनको यह जानकारी होगी। हमने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की कि इसमें जो गरीब लोगों के नाम छूटे हुए हैं, उनको हम जोड़ना चाहते हैं, एक ट्रांसपेरेन्सी लाना चाहते हैं।

महोदय, यह गरीब का हिसाब कैसे होता है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए 13 पैरामीटर्स को लेकर साइंटिफिक आधार पर वर्ष 2002 में सर्वे हुआ। इसके लिए हिसाब तैयार है, कम्प्युटराइज्ड होकर हर जिले में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका प्रकाशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते हुए नहीं हो पाया है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा लिया है, स्टेट को इजाजत दे दी है कि आप इसका प्रकाशन करके जो छूटे हुए नाम हैं, उनको जोड़ें और क्रमबद्ध स्कूल की दीवाल पर या पंचायत भवन की दीवाल पर लगवाएं और उसमें किताब छपवाकर ट्रांसपेरेंन्सी का करें ताकि सब लोग जान सकें कि सबसे गरीब आदमी कौन है? इस 13 पैरामीटर्स में जिसको सबसे कम नंबर मिलेगा, सबसे ऊपर उसका नाम होगा, उसके बाद दूसरे नंबर के गरीब का, उसके बाद अगले गरीब का। दो अपील इसमें रखी गई हैं। सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि इसका तुरन्त प्रकाशन किया जाए और इस वर्ष 6-7, जितनी भी योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए हैं, उसी के आधार पर उनमें काम किया जाए।

महोदय, इसमें क्या-क्या पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। धारित भूमि पर रकबा, मायने उसके पास कितनी जमीन है, उसका घर कितनी जमीन में है, यदि भूमिहीन है तो शून्य नंबर, घर लायक जमीन है तो एक नंबर, उससे ज्यादा जमीन है तो दो नंबर, 15 एकड़ या 20 एकड़ जमीन है तो तीन नंबर, इस ढंग से मार्किंग हुई है। घर का प्रकार, हाऊसलेस है तो शून्य, झोपड़ी है या एक झुग्गी है तो फिर भी शून्य, खपरैल का घर है तो एक नंबर, मिट्टी का घर है तो दो नंबर, उससे आगे घर है तो इस तरह से तीन, चार नंबर कर दिया है। पहनने के कपड़ों की सामान्य उपलब्धता, देह पर केवल बिश्टी है, केवल धोती है, गंजी है, कुर्ता है, चप्पल है, यानी शरीर पर क्या-क्या वस्त्र हैं, उस आधार पर नंबर है। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, घर में अनाज की क्या स्थिति है। स्वच्छता अधिष्ठापन, घर में साफ-सफाई कैसी है। फिर, उपभोक्ता सामग्रियों की मिलकियत, खटिया है, कुर्सी है, बैंच है, टेबल है, कढ़िया है, सूत है या घर में क्या-क्या है, कितनी मात्रा में है, इसके आधार पर मार्किंग। साक्षरता, यानी पढ़े-लिखे लोग

हैं, निरक्षर हैं, कम पढ़े हैं, अधपढ़ हैं, अनपढ़ हैं, इस सभी के संबंध में। परिवार में मजदूरी की स्थिति, घर में कोई काम करने वाले हैं या नहीं हैं या क्या हालत है। जीवन-यापन के जरिये, बच्चों की शैक्षणिक स्थिति, कर्ज की स्थिति, पलायन की स्थिति और कारण और सहायता के लिए प्राथमिकता। ये पैरामीटर्स के लिए 4 नंबर के हिसाब से कुल 52 नंबर होते हैं और इन 52 नंबर में जो 22 नंबर तक प्राप्त हैं, उसमें जीरो नंबर वाले सबसे ऊपर रहेंगे, एक नंबर वाले उसके बाद रहेंगे और इस तरह से दो नंबर, तीन नंबर रहेंगे। इसी आधार पर निर्धारण होगा। हरेक राज्य का थोड़ा बदल हो सकता है, लेकिन 20 से 22 नंबर तक जिनका आता है, वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। इसी आधार पर सवाल उठा था, सिर्फ केलोरी के आधार पर अब गरीबी का निर्धारण नहीं है, यह सन् 1979 तक योजना-आयोग ने तय किया था। तो केलोरी वाला खतम, आमदनी वाला खतम और अब यह 13 आइटम्स पर हम आ गए हैं।